

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 07.11.2023 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति

व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त गुड्डन पुत्र स्व० रामबली निवासी ग्राम बारा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त द्वारा पाण्डाल मे आने जाने वाली महिलाओं से अश्लील इशारे करने के संबन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं०-206/2023 धारा 294 भादवि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राजा सिंह पुत्र गोविन्द निवासी ग्राम पिलखिनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 16 अदद पौवा देशी शराब टिविन टावर ब्रांड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं०-359/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त चन्दन गुप्ता उर्फ हर्षित गुप्ता पुत्र श्याम मनोहर गुप्ता निवासी गांधी नगर पुरानी बस्ती कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 5 गत्ता माल(पटाखा, फुलजडी, अनार, लाइट आदि विस्फोटक) कुल 21.03 किग्रा माल अबैध बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं०-357/2023 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 22 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रुरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना देवराहट पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बरौर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द०प्र०सं० के अन्तर्गत चालान किया ।